/

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बुण्डू (राँची)

RM वाद संख्या -35/2021-22

छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a

रंजीत सिंह विंझिया बनाम राकेश मुण्डा वगैरह

06/10/21

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

विक्रेता का नाम एवं पता – रंजीत सिंह विंझिया पिता–स्व० झारी सिंह विंझिया, ग्राम–फारसा टोली पाँचा, पो०–तैमारा, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–विंझिया, पेशा–खेती, गृहस्थी।

क्रेता का नाम एवं पता – 1.राकेश मुण्डा वो 2.रत्नेश मुण्डा दोनो के पिता–स्व० काली चरण मुण्डा, ग्राम–जामगामी, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी।

विद्वान अधिवक्ता का नाम – श्री सुरज लाल सिंह मुण्डा।

विक्रेता द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक–27/07/2021 को आवेदन देकर छो० का० अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत क्रेता 1.राकेश मुण्डा वो 2.रत्नेश मुण्डा दोनो के पिता–स्व० काली चरण मुण्डा, ग्राम–जामगामी, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों निम्नलिखित भूमि की बिक्री हेतु अनुमति माँगी हैः–

भुमि की विवरणी

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तैमारा	दशमफॉल/81	133	497	10 डी० चौहद्दीः– उ०–सुनील कु० एक्का। द०–बाबी देवी। पू०–नीज विक्रेता। प०–मो० लुदरी।

उक्त आवेदन के आलोक में अचंल अधिकारी, बुण्डू से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार भी निर्गत किया गया है।

अंचल अधिकारी, बुण्डू का पत्रांक–628(ii) दिनांक–01/10/2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जो कि निम्नवत है।

(1) विक्रेता के पास रकबा–1.57 ए० भूमि है।

(2) प्रस्तावित जमीन बिक्री करने के पश्चात विक्रेता के पास रकबा–1.47 ए० भूमि बचती है।

(3) विक्रेता प्रस्तावित जमीन को पारिवारिक व्यय हेतु बिक्री कर रहे है।

(4) विक्रेता खतियानी रैयत नही है।

(5) अनु०पदा० खुँटी के आदेश सं०–362 दिनांक–12/09/02 के आधार जमाबंदी कायम है।

(6) प्रस्तावित जमीन पर वर्त्तमान में विक्रेता का दखल कब्जा है।

(7) क्रेता एवं विक्रेता दोनो दशमफॉल थाना के है।

(8) विक्रेता विंझिया एवं क्रेता मुण्डा जाति के है।

(9) प्रस्तावित जमीन का सरकारी रसीद रंजित सिंह विंझिया के नाम से निर्गत है।

(10) प्रस्तावित भूमि भू हदबंदी, भू–अर्जन, गैरमजरूआ खस, वन, जंगल, झाड़ी, श्मशान, गोचर, नदी, नाला, कब्रस्तान एवं धार्मिक स्थल से बाहर है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, बुण्डू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत विक्रेता रंजीत सिंह विंझिया पिता–स्व० झारी सिंह विंझिया, ग्राम–फारसा टोली पाँचा, पो०–तैमारा, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–विंझिया, पेशा–खेती, गृहस्थी, को क्रेता 1.राकेश मुण्डा वो 2.रत्नेश मुण्डा दोनो के पिता–स्व० काली चरण मुण्डा, ग्राम–जामगामी, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों प्रस्तावित भूमि के बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा की है।

इस न्यायालय के द्वारा दिनांक–12/08/2021 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन संबंधित अंचल कार्यालय से प्राप्त है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने कोई आपत्ति दायर नही की है।

अतः अंचल अधिकारी, बुण्डू के अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित भूमि की विक्रेता रंजीत सिंह विंझिया पिता–स्व० झारी सिंह विंझिया, ग्राम–फारसा टोली पाँचा, पो०–तैमारा, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–विंझिया, पेशा–खेती, गृहस्थी,

को क्रेता 1.राकेश मुण्डा वो 2.रत्नेश मुण्डा दोनो के पिता–स्व० काली चरण मुण्डा, ग्राम–जामगामी, थाना–दशमफॉल, जिला–राँची, झारखण्ड, जाति–मुण्डा, पेशा–नौकरी, के हाथों बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 धारा–46(i)a के तहत दी जाती है। तथा अवर निबंधक, बुण्डू/जिला अवर निबंधक, राँची को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नही करेंगें।

भूमि का विवरण

मौजा	थाना/थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकवा
तैमारा	दशमफॉल/81	133	497	10 डी० चौहद्दीः– उ०–सुनील कु० एक्का। द०–बाबी देवी। पू०–नीज विक्रेता। प०–मो० लुदरी।

लेखापित एवं संशोधित।

06/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

06/10

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता।
बुण्डू (राँची)।

Digitally signed by Ajay Kumar Saw
Date: 2022.03.22 15:46:28 +05:30
Location: 10.93.79.7